जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　दिनाँक 20.12.2024*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का किया गया निरीक्षण, दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 20.12.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड मे साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारी / कर्मचारीगणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। महोदय द्वारा परेड के उपरान्त पुलिस लाइन्स परिसर में मेस, गणना कार्यालय, आमी बैरक साइबर थाना आदि का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष मे सभी गार्द रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्द की सुरक्षा के संबंध मे सभी गार्द कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों व पुलिस चौकियों पर शुक्रवार की परेड करायी गयी। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवायी गयी एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 01** वारण्टी नाम पता रामवेलास पुत्र स्व0 झिनकान निवासी पड़रिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जय प्रकाश कुशवाहा, का0 हरिश्चन्द्र यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 107 वाहनों से 1,22,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 107 वाहनों से 1,22,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 455/2024 धारा 137(2)/351(3)/87/65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित बाल अपचारी को नलकूप कालोनी नेदुला मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना महुली पर दिनांक 15.12.2024 को उक्त बाल अपचारी द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उक्त बाल अपचारी को आज दिनांक 20.12.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव, हे0का0 रमेश मिश्रा।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 401/2024 धारा 366/376 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता लौहर पुत्र भैरव प्रसाद निवासी अतरौलिया उर्फ मठिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 20.12.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना महुली पर वादिनी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री रामकरन।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामलें में अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 25,00 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनाँक 20.12.2024 को ***न्यायालय – ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना मेंहदावल*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2959/2017 धारा 354क, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता दयाशंकर उर्फ मुन्ना मौर्य पुत्र राजेन्द्र मौर्य निवासी बनकटा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास व 2000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। अभि0 को धारा 506 भादवि के तहत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास से भुगतना होगा। पीड़िता को प्रतिकर स्कीम 2018 के तहत 20000रु0

प्रतिकर भुगतान किया जाना उचित है। अभियुक्त को 20000रु0 के व्यक्तिगत बन्धपत्र व अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यातायात माह नवम्बर 2023 के सापेक्ष यातायात माह नवम्बर 2024 में घटित सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर के तुलनात्मक विवरण में जनपद संतकबीरनगर द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में सबसे अधिक 20 प्रतिशत लायी गयी कमी

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माह नवम्बर 2023 के सापेक्ष यातायात माह नवम्बर 2024 में घटित सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में 50 प्रतिशत की कमी लाये जाने हेतु योजनाबद्ध ढ़ंग से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश से प्राप्त वर्ष 2024 के नवम्बर माह के सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ो का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि नवम्बर माह की अवधि में वर्ष 2023 के सापेक्ष वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओ की मृत्यु दर के तुलनात्मक विवरण में जनपद संतकबीरनगर द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में सबसे अधिक 20 प्रतिशत कमी लायी गयी।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अजीत चौहान*** मार्गदर्शन में प्रभारी यातायात ***श्री परमहंस*** व जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिये गये कि आमजनमानस को जागरुक करें। उक्त निर्देश के क्रम में प्रभारी यातायात व जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों द्वारा आमजनमानस में यातायात नियमों के बारें में जागरुक करते हुए जनपद के स्कूली बच्चो को यातायात नियमो के बारे में जागरुक कर पम्पलेट वितरित किया गया तथा शपथ दिलाई गयी । साथ ही नाबालिग बच्चो को वाहन न चलाने,दो पहिया वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने, ब्लैक स्पाट के सम्बन्ध में बताया गया साथ ही लोगों से अपील किया गया व अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने की अपील की गयी थी। जिसके फलस्वरुप यातायात दुर्घटना में मृत्यु दर के तुलनात्मक विवरण में जनपद संतकबीरनगर द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में सबसे अधिक 20 प्रतिशत कमी लायी गयी।